तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1094/2006/जोधपुर दुर्गाराम बनाम श्रवणराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री एस0पी0 सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
2– श्री अजीत सिंह भांदू, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 3

<u>निर्णय</u> **दिनांकः– 06.01.2023**

यह अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर दिनांक 20–12–2005 अपील सं0 110/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई।

3– योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि ग्राम के मौजीज व्यक्तियों की समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से उक्त अपील में अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसियां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2003 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 16–02–2004 को बहाल रखे जाने बाबत् आपसी राजीनामा हो चुका है। इस कारण उक्त निर्णय एवं संशोधित डिक्री के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील सं0 110/2004 बउनवानी श्रवणराम बनाम दुर्गाराम विद्वान अपीलीय न्यायालय के न्यायालय में उक्त अपील में वर्णित रेस्पो0 सं0 1 श्रवणराम एवं 3 रामूड़ी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसको आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस कारण उनके द्वारा पारित अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 20–12–2005 को निरस्त किया जाकर निर्णय एवं संशोधित डिक्री क्रमशः दिनांक 31–10–2003 एवं 16–02–2004 को बहाल रखा जावें। अतः प्रार्थना पत्र पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 20–12–2005 को निरस्त किया जाकर संशोधित डिक्री क्रमशः दिनांक 31–10–2003 एवं 16–02–2004 को बहाल रखने का निवेदन किया।

4– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की।

5– हमने योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी सहमति दिये जाने के फलस्वरूप रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

7– अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णित की जाती है तथा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1094/2006/जोधपुर दुर्गाराम बनाम श्रवणराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2005 अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य हुये राजीनामें पर दोनों पक्षों को सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। 8– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **(खजान सिंह)** **सदस्य** **सदस्य**	